

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : एक 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2248 दिनांक 7 जुलाई 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007-08 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	11	बानसूर महाविद्यालय	बानसूर, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	34	यूनिवर्सल पी.जी.कालेज	4 माइल स्मॉन, हिण्डीन रोड, महुवा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	39	महात्मा गांधी पी.जी. महाविद्यालय	महुवा, दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	49	विनायक कॉलेज धौमू	धौमू, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	54	सेंट जेवियर्स कॉलेज	फागी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	97	ओम कोठारी प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान	ए-1 स्पेशल, आई.पी.आई. ए. जालावाड रोड, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	154	जानकी देवी महाविद्यालय	धानागाजी, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
8	202	लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	कमला नेहरू नगर, जोधपुर	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	219	अरावली महाविद्यालय	एसपी-1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमकाधाना, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
10	244	श्री शिरडी साई बाबा कॉलेज	किशनगढ़, तह.सांभर, जि.जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
11	248	संस्कार भारती महाविद्यालय	बगरू, तह.सांगानेर, जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	258	महावीर विधि महाविद्यालय	किरण पथ सेक्टर 4, मानसरोवर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
13	264	ज्ञानदीप महाविद्यालय	रांत आसाराम आश्रम के पास, लूनीयावास, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

- संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशिक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।